न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2829–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–6–2013 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला झाबुआ प्रकरण कमांक 7/निगरानी/2012–13.

रामसिंह पिता श्री थावरिया मुणिया
निवासी ग्राम नवापाड़ा
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ .....आवेदक

विरूद्ध

नानूराम पिता रूग्गा मकवाना
निवासी ग्राम नवापाड़ा
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ .....अनावेदक

श्री बी.के. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश तारे, अभिषक, अनावेदक

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 15/10/15 **को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–6–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, पेटलावद द्वारा प्रकरण 58/अ–56/2011–12 में दिनांक 10–9–2012 को आदेश पारित कर ग्राम नवापाड़ा का कोटवार आवेदक रामसिंह को नियुक्त किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, पेटलावद जिला झाबुआ के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 43/अपील/2012–13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 30 के अंतर्गत कलेक्टर, झाबुआ के समक्ष प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय से अन्य सक्षम अधिकारी को स्थानांतरित करने संबंधी प्रस्तुत किया गया । अपर कलेक्टर,

झाबुआ द्वारा प्रकरण कमांक 7/निगरानी/12–13 दर्ज कर आदेशिका दिनांक 12–4–2013 को आदेशिका लिखी जाकर अनुविभागीय अधिकारी का अभिलेख मंगाया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभिलेख नहीं भेजकर दिनांक 15–4–2013 को अंतिम आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अतः अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर दिनांक 13–6–2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त किये गये एवं प्रकरण तहसीलदार को विधिवत पुनः विज्ञप्ति जारी कर कोटवार नियुक्ति की कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर के समक्ष अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 6–4–2013 को प्रस्तुत किया गया है, जबकि लगभग 6 दिन पश्चात दिनांक 12–4–2013 को अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं है । यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 30 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरर्थक माना गया है, फिर भी स्वप्रेरणा से निगरानी में लेने में पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही की गई है । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 44 के अन्तर्गत अपील सुने जाने का प्रावधान है, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील सुनी भी जा रही थी तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बाद में अंतिम आदेश भी पारित किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार के आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि अपीलीय आदेश के विरूद्ध निगरानी का प्रावधान नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता में वर्ष 2011–12 में हुए संशोधन के फलस्वरूप निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार कलेक्टर को नहीं होकर राजस्व मण्डल को है । यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर का यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है कि आवेदक द्वारा दबाव बनाकर प्रस्ताव पारित कराया गया है, जबकि वास्तव में आवेदक कोटवार पद हेतु पूर्णतः योग्य है । तर्कों के समर्थन में 1978 जे.एल.जे. 679, 2006 आर.एन. 32, 2002 आर.एन. 156 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्कों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर कलेक्टर के जिस आदेश दिनांक 13–6–2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है, उक्त आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा नवीन कोटवार की नियुक्ति की जा चुकी है, और उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी निरस्त हो चुकी है । ऐसी स्थिति में यह निगरानी प्रचलन योग्य नहीं रह जाने के कारण निरस्ती योग्य है ।

(2) अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष दिनांक 6–4–2013 को संहिता की धारा 30 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अनुविभागीय अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होने संबंधी अनुरोध किया गया था, और अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 12–4–2014 को अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय का प्रकरण कमांक 43/अपील/2012–13 तलब किया गया था, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15–4–2013 को अंतिम आदेश पारित करने के पश्चात प्रकरण अपर कलेक्टर के समक्ष भेजा गया है, इससे इस बात की पुष्टि होती है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक को न्याय नहीं मिल सकता था ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व ही अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 30 के अंतर्गत प्रकरण हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था, और अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण तलब किये जाने संबंधी मांग पत्र भी अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त हो चुका था, इसके बावजूद भी उनके द्वारा दुर्भावना से दिनांक 15–4–2013 को अंतिम आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है।

(4) आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 13–6–2013 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है, परन्तु संहिता की धारा 30 के अन्तर्गत आवेदन पत्र के मंजूर होने पर अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को अपर कलेक्टर के समक्ष हस्तांतरण दिनांक 12–4–2013 व 9–5–2013 को चुनौती नहीं दी गई है, जो स्पष्ट दर्शाता है कि आवेदक की जानकारी में यह तथ्य था कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक को न्याय नहीं मिल सकता था ।

(5) आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 13–6–2013 के बाद नवीन कोटवार की नियुक्ति आदेश, आदेश के प्रकाश में जारी विज्ञप्ति एवं विज्ञप्ति के बाद नवीन कोटवार

की नियुक्ति की कार्यवाही को किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दी गई है, और न ही स्थगन चाहा गया हैं । अतः यह निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है ।

(6) आवेदक अच्छे आचरण वाला व्यक्ति नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दी जा सकती है ।

(7) अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपीलीय योग्य है, और यदि इसकी अपील नहीं की गई हो, तब भी उसे स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जा सकता है ।

तर्कों के समर्थन में 1981 आर.एन. 371, 1983 आर.एन. 104 एवं 1986 आर.एन. 70 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

प्रत्युत्तर में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय में प्रकरण के लम्बित रहते यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही प्रचलित रखी जाकर आदेश पारित कर दिया जाता है, अथवा यदि अपर कलेक्टर का प्रत्यावर्तन आदेश निरस्त हो जायेगा तो बाद की कार्यवाही स्वतः निरस्त हो जायेगी ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष इस आशय की शिकायत की गई थी कि कोटवार पद पर ग्राम पंचायत द्वारा उसके पक्ष में सहमति दी गई थी, परन्तु आवेदक द्वारा तलवार लेकर पहुंच गया और सचिव को साथ में ले गया । उक्त आपत्ति तहसीलदार द्वारा रिकार्ड पर भी ली गई है, परन्तु कोटवार की नियुक्ति करने में उस पर विचार नहीं किया गया है, जो कि गंभीर अनियमितता है, क्योंकि प्रथम दृष्टया ही आवेदक का चरित्र संदिग्ध प्रतीत होता है, और ऐसे व्यक्ति को कोटवार पद पर नियुक्त की जाना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है । ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । अपर कलेक्टर द्वारा विधिवत विज्ञप्ति जारी कर कोटवार की नियुक्ति करने के आदेश तहसीलदार को दिये गये हैं । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि तहसीलदार का आदेश अपीलीय आदेश था, जिसे अपर कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित आदेश को किसी भी स्तर पर स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जा सकता है ,

भले ही अपीलीय आदेश हो । दर्शित परिस्थितियों में अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–6–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर